जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र/जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

मासिक आख्या जून 2024

संख्या– मैंमो–तेरह–आ.प्र./मासिक आख्या/2021 **दिनांक – 05 जुलाई 2024**

दिनांक 01.06.2024 को बाडागड्डी संख्या 02 में वनाग्नि की सूचना जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र प्राप्त हुयी कन्ट्रोल रूम द्वारा सम्बन्धित वनक्षेत्राधिकारी/वन फायर टीम को सूचना से अवगत कराते हुए वनाग्नि नियंत्रण हेतु टीम तैनात कर वनाग्नि नियंत्रित करवायी गयी। इसके अतिरिक्त वनाग्नि निंयत्रण हेतु एन0डी0आर0एफ0/एस0डी0आर0एफ0 एवं अग्निशमन विभाग से समन्वय उक्त टीमों की तैनाती सम्बन्धी वन विभाग के नेतृत्व में कार्यवाही की गयी।

दिनांक 01.06.2024 को तेखला एवं NIM बैण्ड की तरफ सांय 4:11 बजे जंगल मे आग लगने की सूचना प्राप्त हुयी जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा तत्काल सम्बन्धी वनक्षेत्राधिकारी से समन्वय कर घटना की स्थिति के अनुसार वनाग्नि नियंत्रण हेतु एस0डी0आर0एफ0,एन0डी0आर0एफ0, फायर सर्विस टीम को घटना स्थल के लिए रवाना किया गया। उक्त टीमो के द्वारा सांय 6:21 बजे आग को नियंत्रित किया गया। उक्त अवधि में जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा वनाग्नि नियंत्रण होने तक लगातार मॉनिटिरिंग की गयी।

दिनांक 01.06.2024 को कॉलर द्वारा रात्रि 10:29 बजे जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र मे लम्बगांव मोटर मार्ग कुटेटी मंदिर से आगे मार्ग पर पेड़ गिरने की सूचना प्राप्त हुयी कन्ट्रेल रुम द्वारा फायर सर्विस एंव सम्बन्धित विभाग को सूचना से अवगत कराया गया। उक्त टीम के द्वारा पेड़ को काट कर मार्ग को रात्रि 11:14 बजे सुचारु किया गया।

दिनांक 02.06.204 को जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र मे वनाग्नि और अन्य आपदाओं के नियंत्रण के लिए जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता मे बैठक आयोजित की गयी। बैठक मे वनाग्नि के खतरो की संभावना वाले राजमार्गो व अन्य सड़को पर अतिरिक्त सर्तकता बरते जाने के साथ ही यात्रियों को सचेत करने का भी निर्णय लिया गया

दिनांक 02.06.2024 को कन्ट्रोल रूम में कॉलर द्वारा प्रातः 10:33 बजे अवगत कराया गया महीडंडा मोटर तेखला के 3 किमी आगे मार्ग पर पेड़ गिरने की सूचना जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र को प्राप्त हेते ही उक्त स्थान के लिए वन विभाग, एस0डी0आर0एफ0 एंव सम्बन्धित विभाग को सूचना से अवगत कराया गया। उक्त टीमो एंव जेसीबी मशीन के द्वारा पेड़ को काट कर मार्ग को प्रातः 11:36 बजे सुचारु किया गया।

दिनांक 02.06.2024 को प्रातः 11:50 बजे लम्बगांव मोटर मार्ग पर स्थान संकुर्णाधार के पास पेड़ गिरने की सूचना जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र को प्राप्त हेते ही उक्त स्थान के लिए वन विभाग, फायर सर्विस एंव सम्बन्धित विभाग को सूचना से अवगत कराया गया। उक्त टीमो एंव जेसीबी मशीन के द्वारा पेड़ को काट कर मार्ग को दोपहर 1:44 बजे सुचारु किया गया।

दिनांक 03.06.2024 को सांय 6:58 बजे यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग डाबरकोट के पास मलवा आने के कारण अवरुद्व हुआ जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा निर्माण खण्ड बडकोट एंव अन्य सम्बन्धितो से समन्वय किया गया यात्रियो/वाहनोंको पालीगाड/स्यानचट्टी /राणाचट्टी/जानकीचट्टी/बडकोट सुरक्षित स्थानो पर रुकवाना तथा यातायात सुचारु होने पर वाहनो का अवागमन किया गया मार्ग को रात्रि 9:28 बजे सुचारु किया गया।

दिनांक 03.06.2024 को सहस्त्रताल, ट्रैकिंग रूट पर हुयी दुर्घटना में 09 ट्रैकर्स की मृत्यु होने के उपरान्त उनके शवों सहित 13 ट्रैकर्स को वायुसेना तथा यू0का0डा0 के हैलीकॉप्टरों के द्वारा एस0डी0आर0एफ0, आई0टी0बी0पी0, एन0डी0आर0 एफ0, वन विभाग व राजस्व विभाग, स्थानीय नागरिकों के सहयोग से निकाला जा सका। ट्रेकिंग रूट्स पर इस प्रकार की दुर्घटनाएं पुनः घटित न हो के दृष्टिगत ट्रेकिंग की गतिविधियों हेतु स्पष्ट SoPs (Standard Operating Procedures) जारी करने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदया, उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के पत्र संख्या 324/सी0पी0ओ0–डी0एम0 (2023–24) दिनांक 07 जून, 2024 के द्वारा जनपद में ट्रैकिंग हेतु एस0ओ0पी0 तैयार किये जाने हेतु समिति गठित करते हुये मुख्य विकास अधिकारी को समिति का अध्यक्ष नामित किया गया तथा दिनांक 06.06.2024 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सहस्त्रताल ट्रैकिंग रुट पर हुयी दुर्घटना के दृष्टिगत SOP जारी करने के सम्बन्ध मे बैठक आहुत कि गयी। जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा सभी सम्बन्धितों से समन्वय कर कार्यवाही की गयी।

जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र कॉलर द्वारा दिनांक 27.05.2024 को एक व्यक्ति निवासी राजस्थान यमुनोत्री धाम के स्यानाचट्टी के पास बहने की सूचना प्राप्त हुयी थी उक्त लापता व्यक्ति की खोज बीन कार्य पुनः एन0डी0आर0एफ0 एंव पुलिस टीम के 18 सयस्यों के द्वारा आपदा कन्ट्रेल रुम से समन्वय कर दिनांक 02.06.2024 से 07.06.2024 तक जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार खोजबीन कार्य स्यानाचट्टी से खरादी तक की गई परन्तु लापता व्यक्ति का पता नही चल पाया ।

दिनांक 07.06.2024 को गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग गंगनानी डबरानी के बीच मे पहाड़ी से पत्थर गिरने की सूचना जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र को प्राप्त होते ही पुलिस एंव सम्बन्धित विभाग को सूचना से अवगत कराते हुए यात्रियों के वाहनो को सुरक्षित स्थन पर रोका गया। पत्थर रुकने पर वाहनो को सुरक्षा के दृष्टिगत छोडा गया।

दिनांक 07.06.2024 को दोपहर 12:00 बजे सहस्त्रताल, जनपद उत्तरकाशी ट्रैकिंग रुट पर हुयी दुर्घटना के सम्बन्ध मे सम्बन्धित सूचना/सुझावों के साथ जिला कार्यालय के एन0आई0सी0 वीडियों कान्फ्रेसिंग की गयी। अधिक उंचाई वाले ट्रेक रुट पर ट्रैकिग के मानको के सख्ती से अनुपालन एवं सुरक्षा प्रबंधो को लेकर जिला स्तर पर मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) बनाए जाने को निर्णय लिया।

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा पूर्व के वर्षों में ट्रैकिंग के दौरान घटित दुर्घटन से सम्बन्धित रेस्क्यू कार्यों का अनुभव/संज्ञान लेते हुये ट्रैकिंग के सम्बन्ध निम्न सुझाव तैयार कर समिति को उपलब्ध कराये गये–

1. ट्रेकिंग हेतु गाईडलाईन तैयार किये जाने के सम्बन्ध में–

वर्ष 2009 से जनपद के विभिन्न ट्रैकिंग रूटों पर 23 अलग–अलग घटनाओं में लगभग 42 ट्रैकर्स की मृत्यु हुयी है। इन घटनाओं का राज्य सरकार द्वारा भी संज्ञान लिया गया गया है। ट्रैकिंग में ट्रैकर्स की सुरक्षा के दृष्टिगत इस कार्यालय से पूर्व में पत्रों के माध्यम से जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा निर्देश दिये गये हैं। ट्रैकिंग में घटना के पश्चात केवल राहत–बचाव कार्य ही सम्भव हो पाता है, जबकि घटना से पूर्व सुरक्षा सम्बन्धी तैयारियॉ की जानी अति–आवश्यक है। इस सम्बन्ध में मानक प्रचालन विधि (SOP) विकसित की जानी अतिआवश्यक है तथा ट्रैकिंग रूट पर जाने वाले ट्रैकर्स की सुरक्षा के सम्बन्ध में विभिन्न एजेन्सियों (विशेष रूप से नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, आई0टी0बी0पी0 व एस0डी0आर0एफ0) एवं अन्य संस्थाओं यथा वन विभाग, ट्रैकिंग एशोसिएसन, पर्यटन, पुलिस, आपदा प्रबन्धन, राजस्व एवं चिकित्सा विभाग से भी सुझाव प्राप्त कर एक ठोस कार्ययोजना तैयार की जानी आवश्यक है।

2. विभिन्न ट्रैक रूटों को अलग–अलग श्रेणीवद्ध किये जाने के सम्बन्ध में–

समस्त वन प्रभागों, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क व गोविन्द पशु विहार द्वारा अपने नियंत्रणाधीन क्षेत्र में समस्त ऐसे ट्रैक मार्गों की सूची तैयार कर जनपद के समस्त ट्रैक रूटों को उनकी ऊचॉई एवं कठिनाई को दृष्टिगत नेहरू पर्वतारोहण संस्थान द्वारा सुझाये गये निम्न तीन श्रेणियों यथा (Easy-9000-12000 FT, Moderate- 12000-15000, Difficult-15000-18000) में श्रेणीबद्व किया जाना उचित होगा।

अलग–अलग श्रेणी में आने वाले ट्रैक हेतु श्रेणीवार ट्रैकिंग के लिए पृथक–पृथक चैकलिस्ट वन विभाग द्वारा सम्बन्धित संस्थाओं से समन्वय कर तैयार किया जाये। इसी प्रकार पोर्टर तथा गाईड को श्रेणी अनुसार प्रशिक्षित होना आवश्यक होगा। ट्रैक रूटों पर बिना स्थानीय/प्रशिक्षित गाईड व बिना पंजिकृत एजेन्सी के किसी भी दल को ट्रैकिंग की अनुमति प्रदान नही की जाये, इसके अतिरिक्त श्रेणीवार निर्धारित ट्रेकों हेतु तैयार की गयी चैकलिस्ट के अनुसार कोई भी मानक पूर्ण न होने पर ट्रैकिंग दल को अनुमति प्रदान नहीं की जाय। समस्त ट्रैक मार्गो पर जाने वाले ट्रैकिंग दल को अनुमति केवल सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक स्तर से जारी की जाय।

श्रेणीवार ट्रैक रूटों में जाने वाले ट्रैकिंग दल के सभी सदस्यों का बेसिक सूचना यथा– नाम, पूरा पता, परिजनों का सम्पर्क, स्वास्थ्यगत विवरण, मेडिकल (रक्तचाप, मधुमेह, ई0सी0जी0), समुचित संसाधन (टेन्ट, शूज, क्लोदिंग, भोजन सामग्री, मानकानुसार पोर्टर) पूर्व अनुभव, गाईड का प्रशिक्षण तथा उक्त ट्रैक का पूर्व अनुभव, पोटर्स का अनुभव, मौसम पूर्वानुमान सम्बन्धी जानकारी सहित वन विभाग की अन्य शर्ते आदि समाहित की जा सकेगीं। ट्रैकिंग की अवधि के दौरान मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी प्राप्त करते हुये मौसम, ट्रैक हेतु अनुकूल होने पर ही ट्रैकिंग की अनुमति प्रदान की जाय।

पंजीकृत ट्रैकिंग एजेन्सियों के साथ गाईड/पोर्टस का अनिवार्य रूप से पंजीकरण किया जाय एवं प्रशिक्षित/अनुभवी गाईड एवं पोर्टस होने पर ही ट्रैकिंग की अनुमति प्रदान की जाय तथा गाईड व पोटरों का बीमा अनिवार्य रूप से किया जाय साथ ही उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जाने वाले समस्त ट्रैकिंग/माउन्टेनियरिंग दल के समस्त सदस्यों को क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति से भली–भॉति परिचित होने पर ही अनुमति प्रदान की जाये।

3. अधिक ऊचांई वाले ट्रैक रूटों हेतु ट्रैकिंग की अनुमति के सम्बन्ध में–

जनपद के 12000 फीट की ऊचांई वाले समस्त ट्रैक मार्गो में ट्रैकिंग हेतु पृथक से चैकलिस्ट तैयार की जायेगी, उक्त ट्रैकिंग दल के गाईड को आवश्यक रूप से नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी अथवा इसके समकक्ष संस्थान से कम से कम एडवांस माउन्टेनिंयरिग कोर्स ''ए'' श्रेणी में उर्तीण किया हो। उक्त ट्रैक पर तकनीकी/प्रशिक्षित व्यक्ति (गाईड, पोर्टर, पर्यटक आदि) जो कि पर्वतारोहण एवं ट्रैकिंग से भलीभॉति परिचित/प्रशिक्षित हो, को ही ट्रैकिंग की अनुमति प्रदान की जाय। विभिन्न ट्रैकिंग रूटों पर गैर पंजिकृत ऐजेन्सियों द्वारा ट्रैकिंग करवाने वाली एजेन्सियों के विरूद्व मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्यवाही की जाय एवं नियम विरूद्व अनुमति जारी करने वाले समस्त विभागीय अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाय।

12000 फीट से ऊपर जाने वाले समस्त ट्रैकिंग/पर्वतारोहण दल को बिना नर्सिग सहायक अथवा विल्डरनेस फस्ट रिस्पोन्डर (WFR) एवं CPR कोर्स क्वालीफाईड गाईड/सहायक के ट्रैकिंग की अनुमति प्रदान न की जाय। प्रत्येक दशा में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जाने वाले ट्रैकिंग/पर्वतारोहण दल को आवश्यक रूप से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में आपात स्थिति में उपयोग में होने वाली दवाईयॉ/मेडिकल किट ले जानी अनिवार्य की जाय एवं समस्त ट्रैकिंग/पर्वतारोहण दल का स्वास्थ्य परीक्षण कर प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाय। 12000 फीट से ऊपर जाने वाले समस्त ट्रैकिंग/पर्वतारोहण दल हेतु ट्रैकिंग एजेन्सी एवं सम्बन्धित वन विभाग द्वारा आपातकालीन स्थिति हेतु रेस्क्यू/इवाक्वेशन प्लान (हैलीकप्टर एजेन्सी सहित) प्रस्तुत किया जाना उचित होगा तथा अनुमति व आपातकालीन योजना की प्रति निश्चित रूप से जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, पर्यटन विभाग तथा आपदा प्रबन्धन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय। अन्तर्प्रभागीय, अर्न्तजनपदीय एवं अर्न्तराज्यीय ट्रैकिंग मार्ग के लिए अनुमति जारी किये जाने की स्थिति में वन विभाग द्वारा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, जनपद एवं राज्य को अनुमति की प्रति निश्चित रूप से प्रदान की जाय।

ट्रैकिंग एजेन्सियों को ट्रैकिंग के दौरान बी0एस0एन0एल0 लि0 द्वारा प्रद्त सिम कार्ड आधरित जी0एस0पी0एस0 फोन को सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन ले जाना के साथ ही अन्य संचार सम्बन्धी उपकरण, जी0पी0एस0 ट्रैकिंग डिवाइस/रेडियो कालर होने पर ही अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना उचित होगा। सम्बन्धित वन विभाग एवं ट्रैकिंग ऐजेन्सी द्वार समय–समय पर ट्रैकिंग दल की स्थिति की नियमित रियल टाईम मॉनिटरिंग की जाय। ट्रैकिंग की अवधि के दौरान मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी प्राप्त करते हुये मौसम, ट्रैक हेतु अनुकूल होने पर ही ट्रैकिंग की अनुमति प्रदान की जाय।

12000 फीट से ऊपर जाने वाले ट्रैकिंग दलों को जाने से पूर्व ट्रैकिंग रूट का टाईम लेप्स विडियों जिसमें उक्त ट्रैक क्षेत्र की जानकारी व भौगोलिक स्थिति, संवेदनशील पड़ाव, पूर्व में घटित घटनाओं व सम्भावित खतरे के सम्बन्ध में जानकारी तथा मौसम सम्बन्धी जानकारी वन

विभाग द्वारा वीडियो के माध्यम से प्रर्दशित की जाय। इसके अतिरिक्त ट्रैक रूट पर जाने वाले कुक, पोर्टर, गाईड एवं दल के समस्त सदस्यों को प्राथमिक उपचार एवं उपकरणों का व्यवहारिक ज्ञान की जानकारी उपलब्ध करायी जाय। उच्च हिमालय क्षेत्रों में ट्रैकिंग/माउन्टेनियरिंग दल के साथ जाने वाले समस्त पोर्टरों द्वारा उठाये जाने वाले भार का निर्धारण करते हुये गाईड तथा पोर्टस को दिये जाने वाले न्यूनतम दैनिक मानदेय को भी निर्धारित किया जाय। ट्रैकिंग हेतु दैनिक रूप से निर्धारित पडावों तक ही ट्रैकिंग की जानी होगी, तथा ट्रैक रूट से हटकर ट्रैकिंग नही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। उक्त तथ्यों का आंकलन ट्रैकिंग के उपरांन्त जी0पी0एस0 ट्रैकलॉग से किया जा सकेगा।

इसके अतिरिक्त ट्रैकिंग दल का ट्रैकिंग एजेन्सी के साथ सहमति–पत्र, ट्रैकिंग एजेन्सी का गाईड व पोर्टस के साथ सहमति पत्र का प्रारूप तैयार कर सहमति पत्रों की प्रति अनुमति से पूर्व उपलब्ध करायी जाने होगी। उक्त सहमति पत्रों में सम्बन्धित एजेन्सी को भुगतान की जाने वाली धनराशि, उपलब्ध सुविधाओं/मानदेय/पोर्टर हेतु उठाये जाने वाले भार का विवरण, गाईड/पोटर की दक्षता, प्रति ट्रैकर उपलब्ध पोर्टर की अनिवार्य संख्या, कैम्पिंग साईट का विवरण एवं ट्रैकिंग हेतु निर्धारित दिन आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।

सम्बन्धित ट्रैकिंग एजन्सियों को यह भी निर्देश दिये जाने उचित होगे कि ट्रैक समाप्ति के पश्चात ट्रैकर्स के सुरक्षित वापस आने की सूचना, जी0पी0एस0 ट्रैकलॉग एवं फीडबैक, सम्बन्धित वन विभाग को उपलब्ध करायी जाय। ट्रैकिंग एजन्सियों द्वारा इन नियमों का पालन न किये जाने की दशा में एजेन्सी के विरूद्व आवश्यक कार्यवाही कर भविष्य हेतु ट्रैकिंग के लिए जनपद में प्रतिबन्धित किया जाय।

4. ट्रेकिंग हेतु मार्गों का मैप जटिलता/सुविधाओं के सम्बन्ध में –

पर्यटन व वन विभाग समन्वय कर समस्त ट्रैकिंग रूटों को चिन्हित/सूचिबद्व करने सम्बन्धित सूचना संकलित करते हुये ट्रैकिंग रूटों का मैप, विभिन्न पड़ाओं (कैम्प) के नाम कॉर्डिनेट सहित GIS KML फाईल, रोडहेड, ट्रैक रूट के पड़ाववार पैदल दूरी, समुद्र तल से ऊॅचाई, संचार सुविधा, आक्सीजन न्यूनतम एरिया/ट्रैक रूट पर उपलब्ध सुविधा, ट्रैक की श्रेणी तथा आपात स्थिति हेतु हैलीपैड आदि की सुविधा सम्बन्धी सूचनाओं की ट्रैक रूटवार कार्ययोजना तैयार किया जाय। उचित होगा की पर्यटन व वन विभाग द्वारा इस प्रकार की ट्रैकिंग एटनरी सम्बन्धित बुक प्रकाशित की जाय।

5. ट्रैकिंग एवं माउन्टेनियरिंग पर जाने वाले पर्यटकों की निगरानी हेतु एक गूगल स्प्रेड डाटा शीट तैयार किया जाय, जिसमें प्रतिदिन सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक द्वारा अपडेट किया जाय तथा उसकी व्यक्तिगत नियमित मॉनिटरिंग सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, उपनिदेशक, ट्रैकिंग एसोशिएसन, पर्यटन विभाग व शासन द्वारा की जाय।

दिनांक 08.06.2024 को यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग छटॉगा के पास रोड पर पेड़ गिरने के कारण मार्ग अवरुद्व हुआ जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा निर्माण खण्ड,बडकोट एंव एस0डी0आर0एफ0 बडकोट के
को सूचना से अवगत कराते हुए पेड़ को काट कर मार्ग सुचारु किया गया।

आज दिनांक 11 जून 2024 को पुलिस, SDRF एवं वन विभाग के साथ फॉरेस्ट डायवर्जन से यमुनोत्री धाम तक घोड़े खच्चर रास्ते का संयुक्त निरीक्षण किया गया तो निम्न स्थानों पर रास्ते में निम्न कमियां पाई गई जिन्हें ठीक करवा जाना आवश्यक है

1- डायवर्जन 0 प्वाइंट से आगे 100 मीटर पर एक पेड़ काफी नीचे झुका हुवा है घोड़े पर बैठे यात्रियों के सिर लगने का खतरा है ।

2- डायवर्जन से उपर लगभग 150 मीटर पर लगभग 50 मीटर लगातार काफी बड़े गड्ढे है जिन्हे भरा जाना है।

3- जंगल चट्टी में पुराने भैरव मंदिर से पहले 100 की दूरी पर डाईवर्जन की तरफ ढलान पर लगभग 15 मीटर रास्ता काफी उबड़ - खाबड़ है जहां पर पैराफिट बनने है।

4- पुराने भैरव मंदिर में पानी की टंकी है तथा पानी के लिए नाली न होने के कारण पानी रास्ते में आ रहा है जिससे रास्ता खराब हो रहा है यहां पर पानी की निकासी के लिए नाली बननी है।

5- पुराने भैरव मंदिर से आगे लगभग 100 मीटर ढलान पर काफी बड़े गड्ढे हैं, जहां पर पैराफिट बनने है।

6- पुराने भैरव मंदिर से आगे लगभग 200 मीटर ढलान पर 100 मीटर के दायरे में बड़े गड्ढे है, जहां पर पैराफिट बनने है।

7- पुराने भैरव मंदिर से आगे लगभग 500 मीटर ढलान पर एक पेड़ है जिस पर घोड़े पर बैठे यात्रियों के सिर लगने का खतरा है और वहीं पर एक लोहे की साइड रेलिंग निकल कर निचे गिर रखी है जिसे ठीक कराया जाना है।

8- पुराने भैरव मंदिर से आगे लगभग 600 मीटर ढलान पर लगभग 20 मीटर के दायरे में पैराफिट बनाने के आवश्यकता है।

9- पुराने भैरव मंदिर से आगे और देवदर्शन के बीच में रास्ते का पुश्ता टूटा हुआ है और साइड की एक रेलिंग नही है, जिसे बनाया जाना है।

10- देवदर्शन प्वाइंट से नीचे लगभग 30 मीटर की ढलान पर पेराफिट बनाने की आवश्यकता है।

मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में वनाग्नि एवं आगामी मानसून हेतु की गयी तैयारियों की समीक्षा बैठक दिनांक 11.06.2024 को प्रातः 11:00 बजे आहूत की गयी। जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा सभी सम्बन्धितों से समन्वय कर उक्तानुसार

दिनांक 11.06.2024 को लगभग रात्रि 8:50 बजे जनपद गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक यात्री वाहन गंगोत्री धाम से वापस आते समय गंगनानी के पास अचानक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द को प्राप्त होते ही जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा IRS एक्टिवेट कर तत्काल प्रभाव से 108 एम्बुलेंस भटवाडी/हर्षिल, पुलिस, फायर सर्विस, एस0डी0आर0एफ0 भटवाडी/ उजेली, आपदा प्रबन्धन क्यू0आर0टी मय उपकरण सहित एन0डी0आर0एफ0,राजस्व टीम, सीमा संडक संगठन की घटना की जानकारी दी उक्त स्थान के लिए रवाना किया गया एंव सम्बन्धितों से समन्वय स्थापित किया गया। वाहन मे कुल 29 (12 महिला/15 पुरुष/02 बलिका) लोग सवार थे जिसमे 14 लोग सामान्य घायल तथा 12 लोग गम्भीर घायल हुये 01 महिला यात्री की घटना स्थल पर मृत्यु हो गयी। घयलों को उपचार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भटवाडी मे भेजा गया प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र भटवाडी मे घायलों के उपचार के पश्चात सभी घायलों को जिला चिकित्यालय उत्तरकाशी मे लाया गया। जिला चिकित्यालय मे गम्भीर
घायलों का प्राथमिक उपचार के पश्चात हायर सेंटर एम्स ऋषिकेश/दून अस्पताल रैफर किया गया। मृतकों का पंचायतनामा/पोस्टमार्टम आदि कार्यवाही कर मोर्चरी वाहन से एम्स ऋषिकेश भेजा गया।

68
70
Galaxy S24 Ultra

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा वाहन दुर्घटना तथा समय–समय घटित होने वाली घटनाओं हेतु मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार कर सम्बन्धित विभागों को कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी।

उत्तरकाशी जनपद भौगोलिक बनावट के दृष्टिगत प्राकृतिक आपदा सहित समय–समय पर अन्य घटनाओं, वाहन दुर्घटनाओं सहित वनाग्नि, ऑधी–तूफान, लकड़ी के मकान होने के कारण गांव में अग्निकाण्ड की घटनायें, भूस्खलन पेड़ के गिरने से मार्ग अवरूद्व होने पर चारधाम यात्रा सहित राष्ट्रीय राजमार्ग में यात्रियों के जन–जीवन की क्षति के साथ ही असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। जनपद में ट्रैकिंग की गतिविधियों में होने वाली र्दुघटनाओं एवं उपरोक्त अन्य स्थितियों में जन सामान्य की तात्कालिक सहायता, राहत–बचाव, प्राथमिक उपचार व आपातकाल स्थिति में उच्च चिकित्सीय उपचार हेतु रेफर किये जाने हेतु हैलीकाप्टर आदि की मदद ली जानी होती है। उक्त कार्यवाही तत्काल किये जाने हेतु जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र में सम्बन्धित अधिकारियों का बिना सूचना के आवश्यक कार्यवाही हेतु उपस्थित होनेा अपरिहार्य है। ऐसी स्थितियों में आपदा प्रबन्धन के दृष्टिगत निम्नानुसार मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) के तहत कार्यवाही की जानी निर्धारित की जाती है।

1. जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र, उत्तरकाशी द्वारा को जाने वाली कार्यवाहीः–

i. वाहन दुर्घटना, वनाग्नि, अग्निकाण्ड, ऑधी–तूफान, भूस्खलन व अन्य कारणों से अधिक समय तक मार्ग अवरूद्व होना व अन्य प्राकृतिक आपदाओं की तसहील/ग्राम स्तरीय घटनओं की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल एन0डी0आर0एफ0/ एस0डी0आर0एफ0/पुलिस बल/क्यू0आर0टी0 एवं सम्बन्धित उप जिलाधिकारी तथा पुलिस कन्ट्रोल रूम को सूचित किया जाएगा। इसके साथ ही सम्बन्धित घटना से सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों यथा–उप जिलाधिकारी, सड़क से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/कमान अधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी,आर0टी0ओ0, जिला सूचना अधिकारी को सूचित किया जाएगा।

ii. जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी/आपातकालीन परिचालन केन्द्र (DEOC) द्वारा जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी को सूचित किया जाएगा।

iii. घटना के सम्बन्ध में सूचना संकलित कर समय–समय पर ए0टी0आर0 तैयार कर राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र, देहरादून को प्रेषित किया जाएगा।

2. उप जिलाधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही–

i. घटना की सूचना प्राप्त होते ही सर्वप्रथम तहसीलदार/नायब तहसीलदार को तत्काल दुर्घटना स्थल पर रवाना किया जाएगा। संचार विहीन क्षेत्र होने की स्थिति में सैटेलाईट फोन साथ ले जाया जाना सुनिश्चित की जाय, जिससे प्रत्येक आधे घण्टे की सूचना नोडल अधिकारी, कन्ट्रोल रूम/जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र (DEOC) को उपलब्ध कराना जाना सुनिशिचित किया जाय।

ii. घटना की सम्बन्धित प्रारम्भिक सूचना न्यूनतम समय में व्हाट्सएप/दूरभाष/आर0जी0 के माध्यम से जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र (DEOC) जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी।

iii. सम्बन्धित राजस्व उपनिरीक्षक का तत्काल घटना स्थल के नजदीकी चिकित्सालय में रवाना किया जाएगा तथा सम्बन्धित चिकित्साधिकारी से सम्पर्क कर उपचार हेतु समस्त सुविधाओं को दुरूस्त करवाते हुए घायलों को समुचित चिकित्सीय सुविधाऐं उपलब्ध करवायी जाऐंगी।

iv. Higher Center रेफर किये जा रहे मरीजों का सम्पूर्ण विवरण तथा रेफर हॉस्पिटल को सूचना, जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र (DEOC) को उपलब्ध कराया जाएगा।

v. मृतकों के पंचनामा आदि की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से करवायी जाएगी।

vi. घटना स्थल पर खोज–बचाव कार्य में लगी हुई टीमों के भोजन, पानी आदि की व्यवस्था पूर्ति विभाग के सहयोग से जिलाधिकारी/नोडल अधिकारी कन्ट्रोल रूम के निर्देशानुसार की जाएगी।

VII. घटना स्थल यदि अन्य जनपद की सीमा पर स्थित हो तो उस जनपद के सम्बन्धित उप जिलाधिकारी से अनिवार्य रूप से सम्पर्क स्थापित किया जाए जिससे कि उस जनपद से भी आवश्यक सहयोग प्राप्त हो सकें।

3. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाहीः–

I. घटना के दृष्टिगत चिकित्सा विभाग द्वारा चिकित्सकों की टीम, ऑक्सीजन सिलेण्डर, जीवन रक्षक दवाईयों के साथ 24 x 7 की तर्ज पर QRT मय विभागीय एम्बुलेंस तैयार रखी जाए। जिसकों दुर्घटना की सूचना प्राप्त होते ही न्यूनतम समय पर घटना स्थल की ओर रवाना किया जा सके।

II. अपने स्तर से 108 एम्बुलेन्स को सूचित किया जाएगा तथा उसके Movement पर नजर रखी जाएगी।

III. बड़ी घटना की स्थिति में मृतकों के Post Mortem की कार्यवाही हेतु डाक्टरों की टीम का गठन करते हुए घटना स्थल की ओर रवाना किया जाएगा।

IV. घायलों को हॉयर सेन्टर से की और रवाना किये जाने की दशा में उक्त सेन्टर से नियमित सम्पर्क करते हुए हॉयर सेन्टर पहुंचने पर इन्चार्ज हॉयर सेन्टर से घायलों को दिये जा रहे ईलाज तथा उनके उद्यतन स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त करते हुए, जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र (DE0C) को अवगत कराया जाएगा।

V. गम्भीर घायल व्यक्तियों हेतु यदि हैलीकॉप्टर की आवश्यकता हो तो निर्धारित प्रारूप पर इसकी सूचना व्यक्तिगत रूप से DDMO/जिलाधिकारी महोदय, जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र (DE0C) को उपलब्ध करायेंगे।

4. पुलिस विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाहीः–

I. घटना की सूचना प्राप्त होने पर जो टीम सम्बन्धित थाने/पुलिस चौकी/पुलिस लाईन/अग्निशमन/एस0डी0आर0एफ0 मौके पर रवाना होती है उस टीम का विवरण मय उपकरण आदि, जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र (DEOC) को भी उपलब्ध कराकर सूचना फोटो वीडियो सहित वाट्सएप ग्रुप पर अपडेट किया जायेगा।

II. घटना स्थल में पहुॅचकर राहत कार्य हेतु अतिरिक्त आवश्यक संसाधनों की मांग से पुलिस कन्ट्रोल रूम (DCR) को अवगत करायेंगे।

III. अतिरिक्त आवश्यक संसाधनों की मांग होने पर पुलिस कन्ट्रोल रूम (DCR) द्वारा जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र (DEOC) को अवगत कराया जाएगा।

IV. घटना स्थल पर ट्रैफिक के सुगम आवागमन हेतु तत्काल अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था कर कार्यवाही की जाएगी।

V. घटना स्थल पर तत्काल Cordon Off किया जाएगा, जिससे कि राहत एवं बचाव कार्य निर्बाध रूप से संचालित किये जा सकें।

VI. कोतवाली/थाना/पुलिस चौकी/पुलिस लाईन/अग्निशमन/एस0डी0आर0एफ0 से जब भी राहत–बचाव दल रवाना किया जाए उनके पास पर्याप्त प्रकाश उपकरण व संचार उपकरण होना सुनिश्चित किया जाय।

5. अन्य विभागों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही–

I. .घटना से सम्बन्धित विभागों के अधिकारी तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुये सम्बन्धित विभागीय नोडल अधिकारी तत्काल जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे तथा विभागीय कार्यवाही से समन्वयक कर सूचना आपातकालीन परिचालन केन्द्र में तैनात नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

II. घटना स्थल की स्पष्ट जानकारी प्राप्त की जाएगी तदोपरान्त उस क्षेत्र के राजस्व उप निरीक्षक ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा मौके पर उपस्थित होकर सूचना समय–समय पर सूचना आपातकालीन परिचालन केन्द्र (DEOC) को अवगत कराया जाएगा।

III. बड़ी घटना के दौरान राहत एवं बचाव कार्य में लगी हुई राहत बचाव टीमों हेतु पानी की व्यवस्था के लिए जल संस्थान द्वारा पानी का टैंकर घटना स्थल पर भेजा जाएगा।

IV. प्रभावित क्षेत्र में आवश्यक सुविधाओं/सेवाओं यथा–पेयजल, भोजन, विद्युत व यातायात मार्ग सुचारू किये जाने हेतु सम्बन्धित विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी तत्काल मौके पर जाकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा कृत कार्यवाही से सम्बन्धित आख्या फोटोग्राफ व वीडियोग्राफ सहित वाट्सएप ग्रुप पर अपडेट करना सुनिश्चित करेंगे।

6. सम्बन्धित सड़क विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाहीः–

I. जिला आपातकालीन केन्द्र से घटना की सूचना प्राप्त होते ही स्वयं अथवा सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को अनिवार्य रूप से घटना स्थल की और रवाना किया जाएगा।

II. सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा तत्काल मोटर मार्ग का निरीक्षण कर प्रथम दृष्टया मोटर मार्ग से सम्बन्धित रिपोर्ट तैयार कर सम्बन्धित उप जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी।

III. घटना स्थल के नजदीक अस्थाई हैलीपेड हेतु सुरक्षित स्थल का चयन किया जाएगा तथा उक्त स्थान के कोर्डिनेट जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र (DEOC) को उपलब्ध कराये जाऐंगे।

IV. घटना स्थल के नजदीक विभाग द्वारा सूचना पट्ट लगाये गये थे अथवा नहीं तथा सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित सुरक्षात्मक उपयों का अपने रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।

7. परिवहन विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाहीः–

I. जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र के माध्यम से वाहन दुर्घटना की सूचना प्राप्त होते ही एक नामित अधिकारी आपातकालीन परिचालन केन्द्र में तैनात करते हुये तकनीकि अधिकारी द्वारा दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर प्रथम दृष्टया दुर्घटना के कारणों का पता लगाना व आख्या उपलब्ध कराना।

II. वाहन में सवार व्यक्तियों का विवरण/संख्या/चालक आदि की सूचना तथा वाहन की फिटनेस आदि की सूचना एकत्रित करते हुए, सूचना से आपदा कन्ट्रोल रूम को अवगत कराना।

III. दुर्घटना स्थल से सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, पुलिस, सड़क सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों के साथ प्रथम दृष्टया संयुक्त निरीक्षण आख्या तत्काल जिलाधिकारी को उपलब्ध कराना।

8. वन विभाग द्वारा की जानी वाली कार्यवाही–

I. वानग्नि, आंधी–तूफान व भूस्खलन से पेड़ उखडने तथा टूटने से हुयी मार्ग बन्द तथा जन–धन की हानि की स्थिति में नोडल सक्षम अधिकारी को आपातकालीन परिचालन केन्द्र में तैनात करते हुये क्षेत्रिय अधिकारी की उपस्थिति घटना क्षेत्र में कराते हुये पेड़ हटाने की कार्यवाही किया जाना।

II. ऐसे पेड़ जो भविष्य में आंधी–तूफान, भूस्खलन व वानाग्नि के कारण जन जीवन के लिए सम्भावित खतरा पैदा करते हो को तत्काल हटाये जाने की कार्यवाही किया जाना।

III. घटना प्रभावित क्षेत्रों में यथा आवश्यक पैदल मार्गो को सुलभ बनाया जाना।

उपरोक्त मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) में जिन अधिकारियों को जो दायित्व सौंपे गये हैं वो अपने से सम्बन्धित कार्यों का त्रुटि रहित कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। तथा उपरोक्त नामित समस्त विभागों में से प्रत्येक विभाग के 01–01 जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी को पूर्व से ही नामित करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि नामित अधिकारी घटना की सूचना प्राप्त होते ही जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र (DEOC) में उपलब्ध होंगे।

उपरोक्त मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) के संचालन में किसी भी स्तर पर लापरवाही परिलक्षित होती है तो उस स्तर पर आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी के निर्देश दिये गये।

किसी भी घटना की स्थिति में जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र DEOC/अपर जिलाधिकारी/जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी के नेतृत्व में एक संयुक्त कन्ट्रोल रूम के रूप में कार्य करेगा।

दिनांक 12.06.2024 को उप जिलाधिकारी एंव सहा0सम्भागिय परिवाहन अधिकारी के द्वारा दिनांक 11.06.2024 को रात्रि 8:50 बजे गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक यात्री वाहन गंगनानी के पास दुर्घटनाग्रस्त स्थल पर निरीक्षण करते हुए । जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा सभी सम्बन्धित अधिकारियों से समन्वय कर कार्यवाही की गयी।

गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग गंगनानी के पास रात्रि को हुयी बस दुर्घटना में घायल 26 लोगो एम्स ऋषिकेश मे भर्ती थे जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर दिनांक 12.06.2024 को जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने एम्स ऋषिकेश मे जाकर गंगनानी बस दुर्घटना के घायलो का हालचाल जाना और चिकित्सको से उनके स्वास्थय की स्थिति व उपचार के बारे मे जानकारी ली एंव दुर्घटन मे मृतक यात्रियों के परिजनों से भेंट कर जिला प्रशासन उत्तरकाशी की तरफ से उन्हे सांत्वना प्रदान करने के साथ ही हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया।

दिनांक 13.06.2024 को लम्बगांव मोटर मार्ग स्थान कुटेटी देवी मन्दिर के पास वनाग्नि की सूचना जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र को प्राप्त होतें ही वन विभाग को कार्मिक एंव फायर सर्विस को सूचना से अवगत कराते हुए आग को कंट्रोल किया गया।

दिनांक 13.06.2024 को समय लगभग 2:00 बजे श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी कपूर सिंह ग्राम चिन्याली पट्टी बिष्ट च्न्यिालीसौड वाले के नगुण तोक मे एन0एच0 के समीप स्थित कच्ची गौशाला मे अचानक आग लगने के कारण गौशाला पूर्ण रुप से जलकर नष्ट हुयी जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा राजस्व टीम, फायर सर्विस को सूचना से अवगत कराया गया।अन्य किसी भी प्रकार की जन–पशु हानि नही हुयी है।

दिनांक 14.06.2024 को समय सांय 5:17 बजे मांडो के जंगल मे आग लगने की सूचना जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र को प्राप्त होते ही वन विभाग की टीम, फायर सर्विस को सूचना से अवगत कराया आग एंव ट्रफिक नियंत्रित हेतु तेखला से उत्तरकाशी की तरफ डायवर्ड किया गया। आग को कंट्रोल करने हेतु वन विभाग के 14 सदस्य/फायर सर्विस 02 गाड़ी व 8 कार्मिक द्वारा आग को काबू किया गया।

दिनांक 15.06.2024 को कोटियाल गांव के जंगल मे आग लगने की सूचना जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र को प्राप्त होते ही वन विभाग एंव अन्य सम्बन्धितो से समन्वय कर एस0डी0आर0एफ0 / एन0डी0आर0एफ0 आदि दलों की तैनाती कर वनाग्नि को कंट्रोल किया गया

दिनांक 16.06.2024 को बडकोट नोगांव सभा कण्डरी गांव मे वनाग्नि की सूचना जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र को प्राप्त हुयी उक्त स्थान के लिए फायर सर्विस 02 गाड़ी व कार्मिक एवं वन विभाग बड़कोट को सूचना से अवगत कराया गया आग पर उक्त टीमो के द्वारा काबू किया गया।

दिनांक 16.06.2024 को तहसील डुण्डा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम भटवाडी धनारी पनियारी हुरलिया नामे तोक मे समय सांय 3:45 बजे कुमार अंशिका पुत्री श्री केन्द्र सिंह पायल, उम्र 13 वर्ष जो कि अपनी धान की क्यारी मे काम कर रही थी बालिका के उपर ख़डक का सूखा पेड़ गिरने के कारण बालिका की मौके पर ही मृत्यु होने की सूचना जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र को प्राप्त होते ही राजस्व उप निरीक्षक को सूचना से अवगत कराते हुए मौके के लिए रवाना किया गया।

मृतिका के परिजनों को आपदा राहत तत्काल वितरित कर मृतक का पंचायत नामा के पश्चात पोस्टमार्डम के लिए जिला चिकित्यालय उत्तरकाशी मे लाया गया।

दिनांक 16.06.2024 को सांय 7:30 बजे जिलाधिकारी महोदय द्वारा वन अग्नि से संबन्धित रोक–थाम के उपाय आदि विषयों के बारे मे ऑनलाईन/वर्चुअल बैठक के माध्यम से बैठक की गयी।
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा सभी सम्बन्धितों से समन्वय कर बैठक में वनाग्नि नियंत्राण मे सभी विभागो को तत्परता से सहयोग करने तथा सड़को के निकटवर्ती गिरासू पेड़ो को चिन्हित कर सुरक्षित गिराए जाने की कार्यवाही जल्द पूरा करने निर्देश देते हुए कहा यात्रा मार्गो व अन्य सभी प्रमुख सड़को पर कार्य को प्राथमिकता से पूरा किया जाय।

दिनांक 16.06.2024 को जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र को रात्रि 9:17 बजे सूचना प्राप्त हुयी है 02 ट्रैकर अगोड़ा से डोडिताल ट्रैक पर जा रहे थे जिसमें से 1 ट्रेकर की हार्ट अटैक से आधे रास्ते मे मृत्यु होने की सूचना बताई गयी मृतक ट्रेकर का नाम विरेन्द्र सिंह चौहान, निवासी– टिहरी गढ़वाल जो वर्तमान समम मे P.W.D[AE] के पद पर कार्यरत है जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों/टीमो से दूरभाष पर समन्वय कर घटना स्थल के लिए रवाना किया गया।
SDRF के 10 कार्मिक, पुलिस के 04 कार्मिक, वन विभाग के 04 कार्मिक, लोक निर्माण विभाग के 04 कार्मिक, स्वास्थय विभाग के 04 एंव 108 एम्बुलेंस, 05 लोकल व्यक्ति उपकरण सहित रवाना किये गया।
उक्त सभी संयुक्त टीमे दिनांक 17.06.2024 को समय प्रातः 5:00 बजे घटना स्थल पर पहुॅच कर मृतक ट्रेकर के शव को स्ट्रेचर के माध्यम से अगोडा लाया गया जिसके पश्चात मृतक के शव को पंचनामा/पोस्टमार्टम हेतु एम्बुलेंस के माध्यम से जिला चिकित्यालय लाया गया।

सुक्षाव– लोक निर्माण विभाग P.D उत्तरकाशी को सूचना मिलने पर कोई नही आया एंव उत्तरकाशी से देहरादून तक कोई एम्बुलेंय उपलब्ध नही करायी गयी।

दिनांक 18.06.2024 को रात्रि 8:15 बजे यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बडकोट तलोग के पास जंगल मे आग लगने की सूचना जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र को प्राप्त होते ही उक्त स्थान के लिए वन विभाग की टीम को घटना स्थल के लिए रवाना किया गया आग को उक्त टीमो के द्वारा रात्रि 9:22 बजे कंट्रेल किया गया।

दिनांक 19.06.2024 को रात्रि 8:57 बजे पोरा बैंड पुरोला मे पोड़ आने से मार्ग अवरुद्व होने की सूचना जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र को प्राप्त होते ही एस0डी0आर0एफ0 बडकोट को एंव फायर सर्विस तथा पी.डब्लू.डी को सूचना से अवगत कराया गया मार्ग को जेसीबी के द्वारा पेड को हटाया गया मार्ग को रात्रि 10:59 बजे सुचारु किया गया।

दिनांक 21.06.2024 को गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग स्थान झाला ब्रिज के पास एक यात्रियों की बस सड़क पर पलटने की सूचना जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र को प्राप्त होते ही 108 सेवा, सम्बन्धित विभाग को सूचना से अवगत कराया गया बस पर सवार सभी यात्री सुरक्षित थे 4से 5 यात्रियों को हल्की चोट लगी थी जिन्हे 108 आपातकालीन सेवा के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हर्षिल भेजा गया । सम्बन्धित विभाग द्वारा बस को हटा कर मार्ग को सुचारु किया गया।

दिनांक 24.06.2024 को गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग स्थान गंगनानी के पास एक मोटरसाईकिल दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र को प्राप्त होते ही पुलिस टीम, 108 एम्बुलेंस, एस0डी0आर0एफ0 एंव राजस्व उपनिरिक्षक को सूचना से अवगत करते हुए घटना स्थल के लिए रवाना किया गया दोनां बाईक सवार की घटना स्थल पर मृत्यु हो गयी उक्त मृतक गुजरात के बताये गये जिन्हे 108 के माध्यम से जिला अस्पताल लाया गया।

दिनांक 24.06.2024 को बडकोट टनल के पास मार्ग पर पेड़ गिरने के कारण मार्ग यातायात हेतु अवरुद्व हुआ जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा फायर सर्विस एंव अन्य सम्बन्धित विभाग से समन्वय कर मार्ग को सुचारु किया गया।

दिनांक 24.06.2024 को सांय 5:32 बजे गंगोरी–संगमचट्टी मोटर मार्ग रवाडा के पास मलवा आने के कारण मार्ग अवरुद्व हुआ जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा पी0एम0जी0एस0बाई0 उत्तरकाशी एंव अन्य सम्बन्धितो को सूचना से अवगत कराते हुए मार्ग को सांय 6:30 बजे सुचारु किया गया।

दिनांक 24.06.2024 को सांय 5:55 बजे पाटा–संग्राली महिडांडा रोड पर मलवा आने के कारण मार्ग अवरुद्व हुआ जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा लोक निर्माण विभाग से समन्वय कर मार्ग को रात्रि 8:44 बजे सुचारु किया गया।

दिनांक 24.06.2024 को अतिवृष्टि के कारण ग्राम कुनेथ के दुगडा व कुलेथ गदेरे से लगी सिंचित भूमि मे जल भराव होने की सूचना जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र को प्राप्त होते ही राजस्व टीम से समन्वय कर स्थलीय निरिक्षण कर रिर्पोट भेजी गयी।

दिनांक 24.06.2024 को सांय 6:20 बजे ज्ञानसू साल्ड मोटर मार्ग पर मलवा आने के कारण मार्ग अवरुद्व होने की सूचना जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र को प्राप्त होते ही सम्बन्धित विभाग से समन्वय कर मार्ग को रात्रि 7:12 बजे सुचारु किया गया।

दिनांक 25.6.2024 को जिला सौनिक कल्याण एंव पुर्नवास अधिकारी के पत्र के क्रम मे आपदा प्रबन्धन टीम एवं एस0डी0आर0एफ0 टीम के द्वारा सैनिक कल्याण कार्यालय मे प्राथमिक उपचार/सी0पी0आर0 तथा आपदा सम्बन्धी जानकारी दी गयी ।

दिनांक 16.06.2024 को वनाग्नि नियंत्रण के सम्बन्ध में आहूत बैठक में वनाग्नि/आंधी–तूफान के कारण पेड़ गिरने के कारण दुर्घटना घटित होने वाले संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हिकरण कर जर्जर/गिरासू पेड़ों को हटवाये जाने के निर्देश के क्रम में वन निगम द्वारा बैठक में पेड़ों के पातन हेतु संसाधनों की कमी तथा कर्या को अतिशीघ्र किये जाने हेतु धनराशि उपलब्ध कराये जाने के अनुरोध के क्रम में प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, वन निगम, उत्तरकाशी प्रभागीय लौगिंग प्रबन्ध्क, वन निगम, पुरोला के पत्र संख्या–313 दिनांक 24.06.2024 के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्गों/ग्रामीण मोटर मार्गों के समीप जानमाल हेतु खतरनाक/संवेदनशील वृक्षों का निरीक्षण कर, उक्त वृक्षों का पातन जानमान की सुरक्षा के मध्यनजर सावधानी पूर्वक खड़े वृक्षों के लौंपिंग–रोपिंग, उपकरणों आदि पर व्यय वर्ष 2024–25 में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के क्षमता विकास (Preparedness and Capacity building) मद से निम्न विववरणानुसार वन निगम द्वारा की गयी मांग के सापेक्ष 70 प्रतिशत धनराशि आवंटित की गयी।

क्र.सं.	प्रभाग का नाम	सशर्त भुगतान की जाने वाली धनराशि
1	प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, वन निगम, उत्तरकाशी	7,00,000.00
2	प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, वन निगम, पुरोला	5,60,000.00
योग		**12,60,000.00**

विगत वर्ष मानसून अवधि में तहसील मोरी अन्तर्गत आराकोट–चिंवा मोटर मार्ग के स्थान ग्राम मोल्डी के पास मानूसन अवधि में लगभग 250 मीटर भाग में लगातार हुये भारी भूस्खलन के कारण अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई, पुरोला को उक्त स्थान पर भूस्खलन क्षेत्र के दोनों ओर से मशीनरी एवं सक्षम अधिकारी की तैनाती कर लगभग 10 दिनों के उपरान्त मार्ग सुचारू किया जा सका तथा समय–समय पर बाधित हुआ। उक्त सम्पर्ण क्षेत्र में आवागमन हेतु एकमात्र मोटर होने के कारण क्षेत्र के 14 ग्रामों की लगभग 6000 आवादी को आवागमन में कठिनाई हुयी एवं आवश्यक सुविधाओं, स्वास्थ्य/खाद्यान्न/गैस आदि आवाश्यक सामग्री तथा किसानों/परिवारों की मुख्य सेब की फसल मण्डियों तक परिवहन में कठिनाई हुयी। उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुये आरकोट–चिंवा मोटर मार्ग के ग्राम मोल्डी के पास भूस्खलन क्षेत्र का भू–सर्वेक्षण आख्या प्रेषित किये जाने तथा सुझाये गये उपायो के अनुसार स्थायी सुरक्षात्मक कार्य किये जाने हेतु उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से अनुरोध किया गया।

अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा जनपद प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील होने के साथ मानसून अवधि में अतिवृष्टि, त्वरित बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने आदि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होता है। जिस कारण सम्भावित प्राकृतिक आपदा में राहत–बचाव कार्यों, विद्युत, पेयजल, परिवहन आदि आवश्यक सेवाओं के सुचारू करने/प्रतिवादन हेतु जनपद में कार्यरत समस्त राजकीय अधिकारी कर्मचारियों (कार्यालय/क्षेत्रीय) से अपेक्षा की गयी कि मानूसन अवधि में प्राकृतिक आपदा की घटनाओं से आम जनमानस एवं चारधाम यात्रियों की सुरक्षा/सहायता प्रदान किये जाने तथा राहत–बचाव कार्यों के साथ प्रतिवादन का उच्च स्तर बनाये रखेंगे। जीवन रेखीय/खोज–बचाव सम्बन्धी विभाग उक्त स्थितियों हेतु सतर्क रहते हुये समस्त आवश्यक सेवाओं के प्रभावित व मार्ग अवरूद्ध होने की स्थिति में तत्काल आवश्यक सेवायें एवं मार्ग सुचारू करवायेंगे। उक्त के दृष्टिगत समस्त क्षेत्रीय कर्चमारी अपने कार्यक्षेत्र में ही उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये। _जनपद में मानसून अवधि के दौरान संवेदनशीलता एवं चारधाम यात्रा को दृष्टिगत रखते हुये जनपद के समस्त राजकीय कर्मचारी/अधिकारियों को निर्देश दिये गये दिनांक 30 सितम्बर, 2024 तक) अपरिहार्य स्थिति को छोड़ते हुये किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में अवकाश हेतु अध्यक्ष जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण अनुमति ली जायेगी ।

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, देहरादून चारधाम यात्रा/मानसून अवधि में सम्भावित आपदाओं के दृष्टिगत राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन संस्थान (NIDM) द्वारा विभागीय आई0आर0एस0 अधिकारियों तथा नोडल अधिकारियों को मानसून से सम्बन्धित आई0आर0एस0 प्रशिक्षण ऑनलाईन लिंक के माध्यम से दिनांक 24.06.2024 को सयम प्रातः 11:00 से 12:30 बजे तक प्रतिभाग करवाया गया।

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण जनपद अन्तर्गत लोक निर्माण/नगर पालिका/नगर पचांयत/जिला पंचायत को क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित नालियों/कलवर्ट आदि की मानसून पूर्व जल भराव की सम्भावना के दृष्टिगत सफाई करवाते हुये नालियों से पानी की निकासी सुचारू किये जाने के निर्देश दिये गये तथा उक्त कार्य की मॉनिटिरिंग की गयी।

प्रशिक्षण/जन जागरुकता कार्यक्रम

आगामी मानसून अवधि में सम्भावित आपदा के दृष्टिगत आवश्यक तैयारियों के सम्बन्ध में जनपद अन्तर्गत तहसीलों एवं थानों में उपलब्ध खोज–बचाव उपकरणों का मानूसन अवधि से पूर्व आवश्यक मरम्मत आदि करवाते हुये कार्यशील कर संचालन सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया गया ।

तहसीलों/थानों में उपलब्ध खोज–बचाव उपकरणों/सामग्री एवं सेटेलाईट फोन के रख–रखाव सम्बन्धी निर्देश तथा उपकरणों की कार्यशीलता की जांच करते हुये सूचीबद्ध किये जाने एवं उक्त के संचालन सम्बन्धी प्रशिक्षण हेतु मास्टर ट्रेनर एवं त्वरित कार्यवाही दल को निम्न विवरणानुसार भेजा गया।

क्र.सं.	तहसील/थाना का नाम	उपकरणों के जांच/प्रशिक्षण की निर्धारित तिथि/समय	
		दिनांक	समय
1	थाना बडकोट/अग्निशमन, बडकोट	11.06.2024	प्रातः 11:00 बजे
	तहसील, बडकोट		अपरान्ह 2:00 बजे
2	तहसील, पुरोला	12.06.2024	प्रातः 10:00 बजे
	थाना, पुरोला		अपरान्ह 2:00 बजे
3	तहसील, मोरी	13.06.2024	प्रातः 10:00 बजे
	थाना मोरी		अपरान्ह 2:00 बजे
4	तहसील, चिन्यालीसौड।	15.06.2024	प्रातः 10:00 बजे
	थाना, धरासू		अपरान्ह 2:00 बजे
5	तहसील, डुण्डा	18.06.2024	प्रातः 10:30 बजे
	अग्निशमन केन्द्र, उत्तरकाशी।		अपरान्ह 2:00 बजे
6	उप तहसील, जोशियाडा	19.06.2024	प्रातः 10:30 बजे
	पुलिस लाईन, उत्तरकाशी।		अपरान्ह 2:00 बजे
7	तहसील, भटवाडी।	20.06.2024	प्रातः 10:00 बजे
	थाना, मनेरी		अपरान्ह 2:00 बजे
8	थाना, हर्षिल	21.06.2024	प्रातः 11:00 बजे

FIRE

प्रशिक्षण कलेण्डर

एन0डी0आर0एफ0 के एक दल द्वारा Familiarisation Exercise के अन्तर्गत जनपद में आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी पूर्व तैयारी, क्षेत्र अन्तर्गत उपलब्ध संसाधनों का विवरण त्वरित राहत–बचाव कार्य सम्बन्धी जानकारी/प्रशिक्षण/जानजागरूता कार्यक्रम संचालित किया गया।

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा खोज–बचाव एंव त्वरित कार्यवाही दल, NDRF आदि के सहयोग से विभिन्न विद्यालयों मे एक दिवसीय आपदा सम्बन्धी खोज–बचाव जन जागरुकता तथा मॉक अभ्यास का प्रशिक्षण दिया गया। उक्त प्रशिक्षण मे खोज–बचाव उपकरणो/भूकन्प से बचाव सम्बन्धी जानकारी आदि आपदाओ से बचाव सहित घरेलू अग्निकाण्ड की घटना से बचाव एंव सम्बन्धित उपकरणों के संचालन आदि की जानकारी दी गयी।

:: प्रशिक्षण कलेण्डर ::

क्र. सं.	दिनांक	समय	प्रशिक्षण का स्थान	प्रशिक्षणार्थियों का विवरण	NDRFदलकैम्पिंगस्थान
1	10 जून, 2024	11:00 AM	खण्ड विकास कार्यालय, भटवाडी	खण्ड विकास अधिकारी/ समस्त ग्राम पंचायत अधिकारी/ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/ग्रामप्रधान/ युवमंगलदल/महिला मंगलदल/आपदा मित्र प्रशिक्षण प्राप्त स्वयंसेवक/ग्राम प्रहरी आदि ग्राम स्तरीय कार्मिक/स्वयं सहायता समूह।	यूथहास्टल, मनेरा
2	11 जून, 2024	11:00 AM	खण्ड विकास अधिकारी, डुण्डा	खण्ड विकास अधिकारी/ समस्त ग्राम पंचायत अधिकारी/ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/ ग्रामप्रधान/युवमंगलदल/महिला मंगलदल/आपदा मित्र प्रशिक्षण प्राप्त स्वयंसेवक/ग्राम प्रहरी आदि ग्राम स्तरीय कार्मिक/स्वयं सहायता समूह।	यूथहास्टल, मनेरा
3	12 जून, 2024	11:00 AM	नगर पालिका परिषद, बडाहाट, उत्तरकाशी।	अधिशासी अधिकारी, नगरपंचायत/अध्यक्ष, नगरपालिका/वार्डसदस्य/आशा/आंगणनआदि/स्वयंसहायतसमूहआदि।	यूथहास्टल, मनेरा
4	13 जून, 2024	11:00 AM	खण्ड विकास अधिकारी चिन्यालीसौड	खण्ड विकास अधिकारी/ समस्त ग्राम पंचायत अधिकारी/ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/ग्रामप्रधान/युवमंगलदल/महिला मंगलदल/आपदा मित्र प्रशिक्षण प्राप्त स्वयंसेवक/ग्राम प्रहरी आदि ग्राम स्तरीय कार्मिक/स्वयं सहायता समूह।	यूथहास्टल, मनेरा
5	14 जून, 2024	11:00 AM	नगर पालिका परिषद चिन्यालीसौड।	अधिशासीअधिकारी, नगरपालिका/अध्यक्ष, नगरपचायत/वार्डसदस्य/आशा/आंगणनआदि/स्वयंसहायतासमूह	यूथहास्टल, मनेरा
6	15 जून, 2024	11:00 AM	सिलक्यारा टनल (एन0एच0आई0डी0सी0एल0)	एन0एच0आई0सी0सी0एल0 कार्मिकसिलक्याराटनल (सिलक्यारा टनल का निरीक्षण/प्रशिक्षण)	यूथहास्टल, मनेरा
7	18 जून, 2024	11:00 AM	नगर पालिका परिषद, बडकोट।	अधिशासीअधिकारी, नगरपालिका/अध्यक्ष, नगरपालिक/वार्डसदस्य/आशा/आंगणनआदि/स्वयंसहायतासमूह	टीमनगरपालिकाबडकोटमें प्रशिक्षणसमाप्ति के उपरान्तरात्रि विश्रामलोकनिर्माणविभाग – विश्रामभवनपुरोला। (दिनांक 18 से 20.06. 2024 तक)
8	19 जून, 2024	11:00 AM	खण्ड विकासकार्यालय, नौगाव	खण्ड विकास अधिकारी/ समस्त ग्राम पंचायत अधिकारी/ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/ग्रामप्रधान/युवमंगलदल/महिला मंगलदल/आपदा मित्र प्रशिक्षण प्राप्त स्वयंसेवक/ग्राम प्रहरी आदि ग्राम स्तरीय कार्मिक/स्वयं सहायता समूह।	
9	20 जून, 2024	11:00 AM	नगर पंचायत, नौगांव	अधिशासीअधिकारी, नगरपालिका/अध्यक्ष, नगरपचायत/वार्डसदस्य/आशा/आंगणनआदि/स्वयंसहायतासमूह	

10	21 जून, 2024	11:00 AM	खण्ड विकास कार्यालय, पुरोला	खण्ड विकास अधिकारी/ समस्त ग्राम पंचायत अधिकारी/ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/ ग्रामप्रधान/युवमंगलदल/महिला मंगलदल/आपदा मित्र प्रशिक्षण प्राप्त स्वयंसेवक/ग्राम प्रहरी आदि ग्राम स्तरीय कार्मिक/स्वयं सहायता समूह।	टीम विकास खण्ड कार्यालय पुरोला में प्रशिक्षण के उपरान्त रात्रि विश्राम–वनविभाग के विश्राम भवन सान्द्रा, मोरी। (दिनांक 21 से 23.06. 2024 तक)
11	22 जून, 2024	11:00 AM	खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, मोरी।	खण्ड विकास अधिकारी/ समस्त ग्राम पंचायत अधिकारी/ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/ ग्रामप्रधान/युवमंगल दल/महिला मंगलदल/आपदा मित्र प्रशिक्षण प्राप्त स्वयंसेवक/ग्राम प्रहरी आदि ग्राम स्तरीय कार्मिक/स्वयं सहायता समूह।	
12	24 जून, 2024	11:00 AM	नगर पंचायत, पुरोला	अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत/अध्यक्ष, नगर पचायत/वार्ड सदस्य/आशा/आंगणन आदि/स्वयं सहायता समूह	टीमदिनांक 23.06.2024 कोप्रातः विश्रामभवनसान्द्रा से प्रशिक्षण स्थल हेतु प्रस्थान करेंगी तथा प्रशिक्षण समाप्ति के उपरान्त यूथ हॉस्टल उत्तरकाशी पहुँचेगी।
13	25 जून, 2024	11:00 AM	ताम्बा खानी टनल, सीमा सड़क संगठन, उ0का0	ताम्बाखानी टनल का सुरक्षात्मक सर्वेक्षण कार्य (1442, बी0सी0सी0, सीमासड़क संगठन)	यूथ हास्टल, मनेरा
14	26 जून, 2024	11:00 AM	उप तहसील धौन्तरी	राजस्व उप निरीक्षक/ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/ग्राम प्रधान/युव मंगल दल/महिला मंगल दल/आपदा मित्र प्रशिक्षण प्राप्त स्वयंसेवक/ग्राम प्रहरी आदि ग्रामस्तरीय कार्मिक/स्वयं सहायता समूह।	यूथ हास्टल, मनेरा

यात्रा कन्ट्रोल रूम (जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र, उत्तरकाशी)

आगामी **चारधाम यात्रा–2024 के दृष्टिगत श्री गंगोत्री एवं श्री यमुनोत्री धाम की यात्रा प्रराम्भ होने के पर जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द, उत्तरकाशी में यात्रा कन्ट्रोल रूम स्थापित है। कन्ट्रोल रूम 7X24 घंटे कार्यशील रखते हुये कार्मिक शिफ्टवार तैनात हैं। कन्ट्रोल रूम में शिकायत/सुझाव पंजिका तैयारी की गयी है। सम्बन्धित शिकायत/सुझाव दर्ज कर सम्बन्धित अधिकारियों से समन्वय करते हुये शिकायत/सुझाव पर अपेक्षानुसार कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त चारधाम यात्रा में आयो यात्रियों का विवरण/सूचना दैनिक रूप से प्रेषित किया जाता है तथा मौसम सम्बन्धी पूर्वानुमान**

(i) जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र, उत्तरकाशी में बी0एस0एन0एल के अतिरिक्त विभिन्न नेटर्वक के मोबाईल नम्बर निम्न विवरणानुसार सम्पर्क हेतु उपलब्ध है–

District Emergency Operation Center Uttarkashi (DEOC)

Phone: + 91 - 1374 - 222722, 222126, 1077 (Toll free),

FAX: + 91 - 1374 - 222722 (Off)
Mobile.: + 917500337269 (Idea)+ 917310913129 (Airtel)

Mail Id: ddmauttarkashi@gmail.com

यात्रा कन्ट्रोल रूम
(जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र),
उत्तरकाशी।

Phone: +91 - 1374 - 222722, 222126, 1077 (Toll free), Mobile.: +
917500337269, 7252887587, 7310913129 (Office)

श्री यमुनोत्री एवं श्री गंगोत्री धाम यात्रा बुलेटिन

बुलेटिन संख्या–51

दिनांक–29.06.2024 समय–सांय 6:40बजे।
(सांय 5:00 बजे तक विगत 24 घण्टों की सूचना)

यात्रियों की संख्या

धाम का नाम	दैनिक यात्रियों की संख्या (दिनांक–29.06.2024)				अब तक प्रगतिशील यात्रियों की संख्या			
	पुरूष	महिला	बच्चे	योग	पुरूष	महिला	बच्चे	योग
श्री यमुनोत्री धाम	1687	1098	107	2892	239236	216543	11206	466985
श्री गंगोत्री धाम	1698	1162	60	2920	269059	218014	8798	495871
योग	**3385**	**2260**	**167**	**5812**	**508295**	**434557**	**20004**	**962856**

वाहनों का विवरण

धाम का नाम	दैनिक वाहनों की संख्या (दिनांक–29.06.2024)				अब तक प्रगतिशील वाहनों की संख्या			
	बडे वाहन	छोटे वाहन	दुपहिया वाहन	योग	बडे वाहन	छोटे वाहन	दुपहिया वाहन	योग
श्री यमुनोत्री धाम	25	306	33	364	8513	31138	1342	40993
श्री गंगोत्री धाम	26	284	20	330	7883	36866	1616	46365
योग	**51**	**590**	**53**	**694**	**16396**	**68004**	**2958**	**87358**

गंगोत्री से गौमुख जाने वाले यात्रियों का विवरण–

दिनांक	भारतीय		विदेशी		गाइड/पोटर्स	कुल	प्रगतिशील योग
	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला			
29.06.2024	60	05	00	00	02	67	**6109**

जनपद में वर्षा का विवरण (मि0मी0 में

आज सुबह 8 बजे तक पिछले 24 घण्टे में हुयी वर्षा सम्बन्धी रिपोर्ट–

जिला मुख्यालय	तहसील भटवाडी	तहसील डुण्डा	तहसील धिन्यालीसौंड	तहसील बडकोट	तहसील पुरोला	तहसील मोरी
18.00	12.00	02.00	00.00	18.00	05.00	00.00

मौसम– वर्तमान समय में जनपद मुख्यालय, तथा समस्त तहसील क्षेत्रों में एवं गंगोत्री धाम में व यमुनोत्री धाम में कहीं–कहीं हल्के बादल छाये है।

सड़क मार्गो की स्थिति

क्र.स.	जनपद में स्थित मार्गों का प्रकार	कुल मार्गों की संख्या	अवरूद्ध मार्गों की संख्या	अवरूद्ध मार्ग का विवरण
1	राष्ट्रीय राजमार्ग–NH	03	–	–
2	राज्य मार्ग– SH	06	–	–
3	मुख्य जिला मार्ग–MDR	08	–	–
4	अन्य जनपद मार्ग–ODR	06		
5	ग्रामीण मोटर मार्ग–VR	317	–	–
	कुल योग	340	–	–

नोट– जनपद अन्तर्गत चारधाम यात्रा मार्ग यातायात हेतु सुचारू हैं।

यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण—

धाम	दिनांक 28.06.2024 को		अद्यतन योग	
	कुल यात्रियों की संख्या जिनकी स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग की गयी	कुल यात्रियों की संख्या जिनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया	स्क्रीनिंग	स्वास्थ्य परीक्षण
श्री यमुनोत्री धाम	1930	200	180281	15433
श्री गंगोत्री धाम	2870	184	251460	11706
योग	4800	384	431741	27139

मौसम विभाग के दिनांक 28.06.2024 को दोपहर 01:30 बजे का बुलेटिन (ई—मेल से प्राप्त सूचना के अनुसार)

05 दिनों की जनपद में मौसम चेतावनी—

जनपद	29.06.2024	30.06.2024	01.07.2024	02.07.2024	03.07.2024
उत्तरकाशी।	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

यात्रा में क्या करें ? क्या न करें ?

✓ क्या करें

- [illegible] यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण registrationandtouristcare.uk.gov.in पर अनिवार्य रूप से करें।
- स्वास्थ्य परीक्षण के उपरान्त ही यात्रा के लिए प्रस्थान करें। [illegible]
- [illegible]

✗ क्या न करें

- धूम्रपान व अन्य मादक पदार्थों का सेवन न करें।
- यात्रा के दौरान खाली पेट न रहें।
- [illegible] यात्रा न करें।
- पॉलीथीन का प्रयोग न करें।

2/16

इसके अतिरिक्त वनाग्नि/सड़क सुरक्षा आदि बैठकों में प्रतिभाग किया गया।

(देवेन्द्र सिंह पटवाल)
आपदा प्रबन्धन अधिकारी,
उत्तरकाशी।

<u>प्रतिलिपिः</u>— निम्नाकिंतों की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन),उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, सचिवालय परिसर, दूहरादून।
4. अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (क्रियान्वयन), उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, सचिवालय परिसर, दूहरादून।
5. संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, सचिवालय परिसर, दूहरादून।
6. अधिशासी निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, देहरादून।
7. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
8. अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

आपदा प्रबन्धन अधिकारी,
उत्तरकाशी।